| तारीख हुक्म | फर्द अहकाम<br>**सरकार बनाम भंवर सिंह**<br>**मुकदमा नंबर 43/14** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **03.10.2025** | अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त अनुपस्थित जिसकी आज की हाजरी माफी पेश हुई जो स्वीकार की गयी। गवाह भारत रावत का गिरफतारी वारंट अदम प्राप्त हुआ है। प्रकरण टारगेट प्रकरण है और उक्त साक्षी हस्तगत प्रकरण का अंतिम साक्षी है। साक्षी का गिरफतारी वारंट बार–बार अदम आ रहा है बार–बार गिरफतारी वारंट भेजने के बावजूद गवाह जो एक पुलिसकर्मी है तामिल संबधित एसएचओ द्वारा अदम पेश की जा रही है अतः संबधित एसएचओ स्वयं को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं उक्त गिरफ्तारी वारंट की तामिल करवाये और गवाह की उपस्थित न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करे। गिरफतारी वारंट मय तहरीर के साथ एसएचओ खींवसर को प्रेषित हों।<br>वारंट की एक प्रति एसपी नागौर को प्रेषित हो कि उक्त वारंट पुलिस अधिकारी का है जो संबधित थानाधिकारी द्वारा बार–बार अदम भिजवाया जा रहा है अतः उक्त वारंट की तामिल डिप्टी रेंक के अधिकारी के माध्यम से करवाकर गवाह की उपस्थित सुनिश्चित करे। वारंट डीओ लेटर के साथ एसपी नागौर को प्रेषित हो। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 16.10.25 को पेश हो।<br><br>अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्र. 1<br>नागौर राज० | SP नागौर<br>A/W/<br><br>SHO PS खींवसर<br>A/W/ |